न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 254/2021

रिछपाल पुत्र जम्मूराम जाति बाजीगर निवासी बिरकाली हाल अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

—अपीलांट

बनाम

1. प्यारासिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह जाति मजहबी निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

–रेस्पोडेंट/प्रार्थी

2. सोहन सिह पुत्र हरनेक सिंह जाति मजहबी निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।
3. गुलाब सिह पुत्र हरनेक सिंह जाति मजहबी निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
4. शिवदयाल पुत्र जम्मूराम जाति मजहबी निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
5. सतपाल पुत्र जम्मूराम जाति मजहबी निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
6. दर्शन सिह पुत्र जूपराम पुत्र दीवान चन्द जाति मजहबी निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
7. दलवीर सिंह जूपराम पुत्र दीवान चन्द जाति मजहबी निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
8. रामकुमार पुत्र जूपराम पुत्र दीवान चन्द जाति मजहबी निवासी अमरपुरा ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

— रेस्पोडेंट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय दिनांक 21.01.2019
द्वारा सहायक कलक्टर एवं उपखंड अ[illegible]
अनवान प्यारा सिह बनामसोहन सिंह आदि प्र. सं. 1[illegible]/201[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:56 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितिः–
श्री राजेश दीपराय, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री लालचन्द वर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 9

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक 30.5.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के अन्तर्गत पेश किया। प्रार्थना–पत्र में कथन कियाकि उसके पास अपनी कृषि भूमि में आवागमन हेतु कोई रास्ता नही है। वह अपनी कृषि भूमि में आने जाने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 सोहन सिंह के पत्थर नम्बर 7/327 किला नं. 24 में 0.013 है0, अप्रार्थी संख्या 2 गुलाबसिंह के पत्थर नंबर 7/327 किला नं. 25 में .013 हैक्टर, पत्थर नम्बर 8/327 के किला नंबर 21 में .013 हैक्टर, अप्रार्थीगण शिवदयाल, रिछपाल, सतपाल, जूपराम के संयुक्त खाता में पत्थर नम्बर 8/327 के किला नंम्बर 25 में प्रवेश करता है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है। प्रार्थी के पास इस रास्ते के अलावा अन्य कोई विकल्प कृषि भूमि में जाने के लिये नहीं है। अपीलाण्ट/प्रार्थी ने उक्त रास्ता स्वीकृत करने का अनुतोष मांगा। विचारण न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्त अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी कोई सम्मन प्राप्त नही हुआ है। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलाण्ट कोई सूचना सम्प्रेषित नहीं की गई। प्रश्नगत रास्ता की आवश्यकता है या नहीं वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है या नहीं इस संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई। जबकि रास्ता के प्रकरण में मौका रिपोर्ट मंगवाई जाना आवश्यक है। रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु पत्थर नंबर 7/327 के किला नं. 3 में रास्ता स्वीकृतशुदा है। रास्ता स्वीकृत होते हुए भी रास्ता स्वीकृत कर दिया गया है, जो रास्ता स्वीकृत किया गया है वह किसी स्वीकृतशुदा रास्ता से नहीं जुड़ता है। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत अभिकथित सहमति पत्र किसके द्वारा प्रस्तुत किये गये उसका कोइ उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय के फर्द अहकाम में नहीं है। सहमति पत्र को विधि अनुसार रिकार्ड पर नही लिया गया है। अपीलाण्ट ने अपनी भूमि में रास्ता स्वीकृत करने बाबत कोई सहमति नहीं दी है। अपीलाधीन निर्णय का अपीलाण्ट को ज्ञान नही था रेस्पोडेण्ट द्वारा रास्ता बनाने का असफल प्रयास किया गया जिस पर अपीलाधीन निर्णय की जानकारी हुई। अपील में हुए देरी क्षमा की जावें। अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेण्ट के पास अपनी भूमि में आवागमन हेतु कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही है। विचारण न्यायालय ने प्रार्थी संख्या 1, 2 के आजिर आने और सहमति का इकबाल पेश करने पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अपीलाण्ट को सम्मन भिजवाये गये थे। उनके उपस्थित नहीं आने पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:56 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

है। विचारण न्यायालय का आदेश विधि सम्मत है, अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 251 ''क'' के अन्तर्गत पेश हुआ था जो स्वीकार कर अपीलाण्ट की अपीलाण्ट की कृषि भूमि में रास्ता स्वीकृत किया गया था। पत्रावली में अंकित है कि अप्रार्थी संख्या1 व 2 हाजिर आये और सहमति का इकबाल किया। परन्तु ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिसके आधार पर यह सपष्ट हो कि अपीलाण्ट रिछपाल ने भी किसी प्रकार की सहमति या इकबाल किया हो। धारा 251 ''क'' के अन्तर्गत रास्ता स्वीकृत करने से पूर्व निर्धारित मापदण्ड रास्ते की आत्यंतिक आवश्यक, वैकल्पिक रास्ता, एवं निकटतम रास्ते के सबंध में राजस्थान कास्ताकरी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 के अनुसार भू अभिलेख स्तर के अधिकारी से मौका निरीक्षण रिपार्ट लेनी चाहिए थी जो नहीं ली गई। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है।

7. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेष के आधार पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के निर्णय दिनांक 21.01.2019 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि धारा 251 ''क'' के अन्तर्गत विहित प्रक्रिया का पालन कर उभयपक्ष को सुनकर दो माह की अविध में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधिनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

8. दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.5.22 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/5/22

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2023.07.12 14:41:56 IST
Reason: SelfAttested